

[2025] 5 एस. सी. आर 446:2025 आई. एन. एस. सी 472

कश्मीरी लाल शर्मा

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और अन्य.

(सिविल अपील सं.4761-4762 2025)

03 अप्रैल 2025

[मनोज मिश्रा और के. वी. विश्वनाथन, न्यायाधीश

विचार के लिए मुद्दा

क्या शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के लिए सेवानिवृत्ति आयु में विस्तार का लाभ केवल दृष्टि बाधित व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जा सकता है जैसा कि दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान किया गया है या यह उन सभी विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जैसा कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट हैं; क्या ऐसे विस्तार को वापस लिया जा सकता है जैसा कि दिनांक 04.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया था। यदि हां, तो अपीलकर्ता के दावे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

संक्षिप्त मुकदमा †

दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 - क्या शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु के विस्तार का लाभ दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक ही सीमित हो सकता है जैसा कि दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान किया गया है या यह उन सभी विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जैसा कि दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट हैं:

आयोजित: उक्त मुद्दा भूपिंदर सिंह मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा सुलझा लिया गया है - दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रदान की गई सेवानिवृत्ति आयु में विस्तार का लाभ केवल दृष्टिबाधित वर्ग तक ही सीमित नहीं किया जा सकता था - बल्कि, यह उन सभी मानक विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जैसा कि 1995 अधिनियम और 2016 अधिनियम में निर्दिष्ट हैं। [अनुच्छेद 16]

दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 - सामान्य खंड अधिनियम - s.212-क्या दिनांकित 29.03.2013 कार्यालय ज्ञापनका लाभ वापस लिया जा सकता है जैसा कि दिनांकित 04.11.2019 कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया था:

आयोजित: पार्टियों ने रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं लाया है जिससे यह कहा जा सके कि निर्दिष्ट शारीरिक विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु सेवा नियमों या विनियमों या वैधानिक प्रावधान में संशोधन करके बढ़ाई गई थी और इसलिए, सेवा शर्तों में परिवर्तन कार्यालय ज्ञापन या कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से नहीं किया जा सकता था - इन परिस्थितियों में, सामान्य सिद्धांतों को लागू करना, जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 212 में निहित है, जारी करने की शक्ति में रद्द करने की शक्ति शामिल होगी, इस न्यायालय का विचार है कि 04.11.2019 का कार्यालय ज्ञापन उस प्राधिकारी की क्षमता के भीतर था जिसने 29.03.2013 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया था - परिणामस्वरूप, 04.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन को क्षमता की कमी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है - अन्यथा भी, किसी कर्मचारी के पास उस आयु के संबंध में कोई मौलिक अधिकार नहीं है जिस पर वह सेवानिवृत्त होगा - इसके अलावा, सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून या नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के कारण किसी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति भारतीय संविधान की धारा 311(2) के अनुसार - इस न्यायालय का यह मत है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.03.2013 के प्रभावी रहने तक, अपीलकर्ता इसके लाभ का हकदार था, क्योंकि वह ऐसे कर्मचारी की श्रेणी में आता था जो 1995 के अधिनियम और 2016 के अधिनियम में निर्दिष्ट विकलांगताओं से ग्रस्त है। [अनुच्छेद 18, 21]

उद्धृत केस लॉ

भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य [1988] 3 एससीआर 409:1988 (3) एस. सी. सी. 513- पर निर्भर था।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम भूपिंदर सिंह [2004] 3 एससीआर 718:(2004) 4 एस. सी. सी. 213; भारत संघ बनाम देवेंद्र कुमार पंत [2009] 11 एस. सी. आर. 1:(2009) 14 एस. सी. सी. 546; के. नागराज और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और दूसरा [1985] 2 एस. सी. आर. 579:(1985) 1 एससीसी 523 - संदर्भित

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं अन्य बनाम सुरेन्द्र कुमार वशिष्ठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी संख्या 7860/2021 में 20.12.2022 को निर्णय

लिया गया; हिमाचल प्रदेश राज्य अन्य बनाम कृष्ण चंद, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी संख्या 1577/2018 में 05.11.2018 को निर्णय लिया गया - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995; विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016

मुख्य शब्दों की सूची

सेवानिवृत्ति की आयु; शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी; दृष्टिबाधित; सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में कर्मचारियों का मौलिक अधिकार; सेवा की समाप्ति; भारत के संविधान का अनुच्छेद 311(2); अधिवर्षिता की आयु बढ़ाना।

मामला उत्पन्न होने से

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: दीवानी याचिका सं.4761-4762 2025 का हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के दिनांक 28.07.2021 और 22.06.2022 के निर्णय और आदेश से क्रमशः सीडब्ल्यूपी संख्या 146/2020 और आरपी संख्या 232/2022

पार्टियों में उपस्थिति

अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए:

सुभ्रो सान्याल।

प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता:

अभिनव मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री खुशबू होरा, सुश्री अर्चिता निगम, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. अवकाश अनुदत्त
2. ये दोनों अपीलें अपीलकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका (अर्थात्, सीडब्ल्यूपी संख्या 146/2020) से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें दिनांक 30.09.2018 के सेवानिवृत्ति आदेश को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए अपीलकर्ता को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की मांग की गई है, दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन (संक्षेप में कार्यालय ज्ञापन) के मददेनजर और दिनांक 04.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए, दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने के लिए, या वैकल्पिक रूप से, इसे अपीलकर्ता पर लागू नहीं होने के रूप में घोषित करने के लिए उपरोक्त रिट याचिका

को दिनांक 28.07.2021 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और बाद में, दिनांक 22.06.2022 के दूसरे विवादित आदेश द्वारा समीक्षा को खारिज कर दिया गया था।

तथ्य

3. संक्षेप में इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:
 - a) अपीलकर्ता 60 प्रतिशत तक स्थायी गति विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति है तथा उसे 13.03.1985 को प्रथम प्रतिवादी के यहां इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति की तारीख को, उन्होंने 58 वर्ष पूरे करने पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली होगी, जो उनकी जन्म तिथि (यानी, 19.09.1960) के अनुसार, 18.09.2018 होगी। हालाँकि, मौजूदा सेवा शर्तों के आधार पर, वह उस महीने की अंतिम तिथि तक सेवा में बने रहेंगे जिसमें उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की थी, अर्थात् 30.09.2018 तक।
 - b) 29.03.2013 को हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा एक कार्यालय जापन जारी किया गया था, जिसके तहत शारीरिक रूप से विकलांग (दृष्टिबाधित) श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी।
 - c) यह दावा करते हुए कि उक्त कार्यालय जापन का लाभ अन्य निर्दिष्ट शारीरिक विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को भी दिया जाना चाहिए, अपीलकर्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अधिकारियों को आयु विस्तार का लाभ देने के लिए प्रतिनिधित्व किया।
 - d) हालांकि, प्रथम प्रतिवादी ने आयु विस्तार के अनुरोध को प्रतिग्रहण करना नहीं किया और इसके बजाय 22.09.2018 पर सेवानिवृत्ति की सूचना दी, जिसमें अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि वह 30.09.2018 पर सेवानिवृत्त होगा।
 - e) इस बीच, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि से पहले, अपीलकर्ता ने दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय जापन के मद्देनजर अपनी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन संख्या (एम) 508/2018 दायर किया था।
 - f) जबकि उपरोक्त मूल आवेदन लंबित था, कार्यालय जापन दिनांक 04.11.2019 द्वारा, राज्य ने तत्काल प्रभाव से कार्यालय जापन दिनांक 29.03.2013 को वापस ले लिया। उस स्थिति का सामना करते हुए, मूल आवेदन, जिसे न्यायाधिकरण के समाप्त होने

पर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, को वापस ले लिया गया और अपीलकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 04.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन को चुनौती देते हुए एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।

- g) अपीलकर्ता को प्रदान की गई स्वतंत्रता के अनुसरण में, उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई याचिका (अर्थात्, सीडब्ल्यूपी 146/2020) दायर की गई थी, जिसे उक्त आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

4. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री शुभ्रो सान्याल का कहना है कि अन्य निर्दिष्ट विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन का लाभ देने से इनकार करना, इसे केवल दृष्टिबाधित श्रेणी तक सीमित करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में 1995 अधिनियम) और बाद के अधिनियमन यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (संक्षेप में 2016 अधिनियम) का लाभ सभी निर्दिष्ट विकलांगताओं तक विस्तारित है जिसमें चलने-फिरने की विकलांगता शामिल है, इसलिए उन निर्दिष्ट विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्ति एक समरूप वर्ग का गठन करते हैं, यद्यपि विकलांगता की एक निर्दिष्ट श्रेणी के लिए पद आरक्षित हो सकते हैं।
6. यह तर्क दिया गया है कि 2010 के सी. डब्ल्यू. पी. No.7233 **[भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य]** में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह का मुद्दा उठा था। उच्च न्यायालय का मानना था कि सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि का लाभ केवल दृष्टिबाधित श्रेणी के कर्मचारियों तक सीमित रखने से उन व्यक्तियों के बीच भेदभाव होगा जो 1995 के अधिनियम के तहत लाभ प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए एक ही वर्ग का गठन करते हैं। यह तर्क दिया गया कि पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय को सिविल अपील संख्या 8855/2014 **[पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम भूपिंदर सिंह]** में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

“अवकाश मंजूर

इस मामले में जो मुद्दा विचार के लिए उठता है, वह इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या राज्य के अंधे या दृष्टिबाधित कर्मचारियों को 58 वर्ष से 60 वर्ष तक

सेवा विस्तार का लाभ दिया गया है। सरकार को विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (जिसे आगे विकलांगता अधिनियम कहा जाएगा) के तहत उल्लिखित अन्य विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने उपरोक्त मुद्दे का सकारात्मक जवाब दिया है। हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और उपरोक्त निर्धारण पर पहुंचने में दर्ज कारणों की भी पुष्टि करते हैं। फिर भी, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्धारण के लिए अपने प्रतिबंध/सीमा को दर्ज करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर, विकलांग अधिनियम तीन प्रकार की अक्षमताओं के लिए खंड 33 द्वारा से आरक्षण पर विचार करता है। सबसे पहले, अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति। दूसरा, श्रवण दोष से पीड़ित व्यक्ति। और तीसरा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति। रोजगार में समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा के लिए, विकलांगता अधिनियम द्वारा केवल उपरोक्त तीन श्रेणियों की विकलांगताओं को ही मान्यता दी गई है। इसलिए, विकलांगता अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए, समानता केवल विकलांगता अधिनियम की धारा 33 में निर्दिष्ट तीन श्रेणियों के संबंध में ही मान्य है। वास्तव में, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने भी उपरोक्त स्थिति का समर्थन किया।

इस न्यायालय को विवादित आदेशों में व्यक्त तर्क को स्वीकार करने से रोकने के लिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम देवेंद्र कुमार पंत और अन्य, (2009) 14 एससीसी 546 में दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया। उपरोक्त निर्णय में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह पदोन्नति से संबंधित है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया लाभ उस संबंधित रोजगार से संबंधित है जिसमें एक विकलांग कर्मचारी को लगाया गया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। हमारा

उपरोक्त दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए भेदभाव का मुद्दा उन कर्मचारियों से संबंधित है जो पहले से ही सरकारी सेवा में लगे हुए हैं। जिन पदों पर वे कार्यरत थे, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता के बारे में कोई विवाद नहीं है। यदि यह लाभ विकलांगता की उन श्रेणियों को भी प्रदान किया जाए जिनके लिए विकलांगता अधिनियम के तहत रोजगार में आरक्षण की परिकल्पना की गई है, तो इससे अपीलकर्ताओं को कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी।

उपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, तत्काल अपीलों का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

ता./- 16 सितंबर, 2014"

जोर दिया गया)

7. आगे यह तर्क दिया गया है कि 2016 का अधिनियम, 1995 के अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि उसे बढ़ाता है, और इसके तहत निर्दिष्ट विकलांगताओं में चलने-फिरने में अक्षमता भी शामिल है, जिससे अपीलकर्ता पीड़ित था, इसलिए, इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से बहुत पहले से सेवा विस्तार के लिए अपना दावा पेश कर रहा था। इसलिए, दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन का लाभ अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था; और एक बार उस कार्यालय ज्ञापन का लाभ प्रदान कर दिए जाने के बाद, उसे वापस लेने से विस्तार में कटौती नहीं होगी, जिसे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में प्रदान किया गया माना जाएगा। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाए और अपीलकर्ता को सेवा की निरंतरता सहित सभी परिणामी लाभों के साथ सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष तक बढ़ाने का लाभ दिया जाए।

प्रतिवादी (गण) की ओर से प्रस्तुतियाँ

8. इसके विपरीत, प्रथम प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील सुश्री अर्चिता निगम ने प्रस्तुत किया कि, यह स्वीकार किया जाता है कि, जिस तिथि को अपीलकर्ता ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की, उस समय दिनांक 29.03.2013 का कार्यालय ज्ञापन, जैसा कि वह था, किसी भी न्यायालय द्वारा भेदभावपूर्ण घोषित नहीं किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञापन में केवल दृष्टिबाधित श्रेणी के कर्मचारियों को ही लाभ प्रदान किया गया था, जिससे अपीलकर्ता संबंधित नहीं है, इसलिए सेवानिवृत्ति की आयु में विस्तार मांगने का कोई निहित अधिकार

नहीं हो सकता था, और जब कार्यालय जापन वापस ले लिया गया, तो अपीलकर्ता को सेवा विस्तार का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता था। तदनुसार, उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

9. वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह मानते हुए कि दिनांकित 29.03.2013 कार्यालय जापनका लाभ अपीलकर्ता को भी उपलब्ध होगा, इस तरह का लाभ उसकी निकासी की तारीख यानी 04.11.2019 के बाद भी जारी नहीं रह सकता है।

चर्चा/ विश्लेषण

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, निम्नलिखित मुद्दे हमारे विचार के लिए आते हैं:
- I) क्या शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के लिए सेवानिवृत्ति आयु में विस्तार का लाभ केवल दृष्टि बाधित व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जा सकता है, जैसा कि दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय जापन में प्रावधान किया गया है, या यह उन सभी विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, जैसा कि 1995 अधिनियम और 2016 अधिनियम में निर्दिष्ट हैं?
 - II) क्या इस तरह के विस्तार को वापस लिया जा सकता है जैसा कि कार्यालय जापन दिनांक 04.11.2019 द्वारा किया गया था? यदि हां, तो अपीलार्थी के दावे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

मुद्दा I

11. पहले मुद्दे के संबंध में, भूपिंदर सिंह (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा यही रुख तय किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने विशेष रूप से इस मुद्दे को तैयार किया है, "क्या राज्य सरकार के अंधे या दृष्टिबाधित कर्मचारियों को दी गई 58 वर्ष से 60 वर्ष तक की सेवा में विस्तार का लाभ विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत उल्लिखित अन्य विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए" और निम्नलिखित शब्दों में इसका उत्तर दिया: "पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने उपरोक्त मुद्दे का सकारात्मक जवाब दिया है। हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय का पूर्णतः समर्थन करते हैं, तथा उपरोक्त निर्णय पर पहुंचने में दर्ज कारणों की भी पुष्टि करते हैं। "
12. यह ध्यान देने योग्य है कि भूपिंदर सिंह (उपरोक्त) मामले में, राज्य की ओर से एक तर्क दिया गया था, जो भारत संघ बनाम देवेंद्र कुमार पंत (2009) 14 एससीसी 546 में इस

न्यायालय के एक निर्णय पर आधारित था, कि विकलांगता वाले सभी व्यक्तियों के साथ अधिनियम के तहत समान या एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है क्योंकि गैर-भेदभाव से संबंधित विभिन्न सिद्धांत उस संदर्भ के आधार पर लागू होते हैं जिसमें लाभ दिया जाता है। इस तर्क को इस न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि देवेंद्र कुमार पंत (उपरोक्त) का निर्णय पदोन्नति के संदर्भ में था, जबकि चुनौती के तहत उच्च न्यायालय का आदेश उन व्यक्तियों के बीच भेदभाव के संबंध में था जो पहले से ही सरकारी सेवा में लगे हुए हैं और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को कोई चुनौती नहीं है।

13. इसके अलावा, देवेंद्र कुमार पंत (उपरोक्त) मामले में, विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या किसी पदधारी द्वारा किसी विशेष चिकित्सा श्रेणी में फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना पदोन्नति देने से इनकार करना, 1995 के अधिनियम की धारा 47(2)¹ का उल्लंघन होगा। उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उपरोक्त प्रावधान का अर्थ यह होगा कि किसी व्यक्ति को, जो अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र है, केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा कि वह किसी विकलांगता से ग्रस्त है। लेकिन यदि अक्षमता किसी उच्च पद पर कार्यों के निर्वहन या प्रदर्शन को प्रभावित करेगी या यदि अक्षमता सह-कर्मचारियों, जनता के सदस्यों या स्वयं कर्मचारी, या नियोक्ता की संपत्ति और उपकरणों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगी, तो स्थिति अलग होगी। इस प्रकार यह देखा गया कि यदि पदोन्नति को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि इससे सुरक्षा, संरक्षा और कार्य निष्पादन प्रभावित होगा, तो यह केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से इनकार नहीं है, बल्कि विकलांगता के साथ-साथ कुछ और कारण से पदोन्नति से इनकार है, अर्थात् कर्मचारी के पदोन्नति पद से जुड़े उच्चतर कर्तव्यों या कार्यों के निष्पादन पर विकलांगता का प्रतिकूल प्रभाव।

14. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण से, देवेंद्र कुमार पंत (उपरोक्त) मामले में पारित निर्णय, भूपिंदर सिंह (उपरोक्त) मामले में उचित रूप से भिन्न था, क्योंकि एक विकलांग श्रेणी को आयु वृद्धि का लाभ प्रदान करने और दूसरी को इससे वंचित करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखाई देता, जबकि दोनों ही 1995 के अधिनियम और 2016 के अधिनियम में निर्दिष्ट हैं। इस दृष्टिकोण से, यदि सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि का लाभ दृष्टिबाधित श्रेणी को उपलब्ध है, तो यह 1995 के अधिनियम में निर्दिष्ट विकलांगता की अन्य श्रेणियों को भी उपलब्ध होना चाहिए, जैसा कि 2016 के अधिनियम में दोहराया गया है।

1. 1995 के अधिनियम की धारा 47(2): "किसी व्यक्ति को केवल उसकी अक्षमता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। "

15. उपरोक्त के अलावा, भूपिंदर सिंह (उपरोक्त) के फैसले का हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों (यानी, 2021 का सी. डब्ल्यू. पी. No.7860) में पालन किया है: प्रधान सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और ए. एन. आर. वी. सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ, 20.12.2022 पर निर्णय लिया; और सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1577/2018-एच. हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम कृष्ण चंद, 05 नवंबर, 2018 को तय किया गया, जिसके खिलाफ एसएलपी © डी. संख्या 18076/2019 को इस न्यायालय द्वारा 13.09.2019 को खारिज कर दिया गया था)।
16. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, यह माना जाता है कि दिनांकित कार्यालय ज्ञापन 29.03.2013 के तहत प्रदान की गई सेवानिवृत्ति की आयु के विस्तार का लाभ दृष्टिबाधित श्रेणी तक ही सीमित नहीं हो सकता था। बल्कि, यह ऐसी सभी मानक अक्षमताओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जो 1995 के अधिनियम और 2016 के अधिनियम में निर्दिष्ट हैं।

मुद्दा II

17. अगला मुद्दा यह है कि क्या दिनांकित कार्यालय ज्ञापन 29.03.2013 का लाभ वापस लिया जा सकता है जैसा कि दिनांकित 04.11.2019 कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया था।
18. इस संबंध में, हम देखते हैं कि पक्षकारों ने ऐसा कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं लाया है जिससे यह सिद्ध हो कि विशिष्ट शारीरिक विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति आयु सेवा नियमों या विनियमों या वैधानिक प्रावधानों में संशोधन करके बढ़ाई गई थी और इसलिए, कार्यालय ज्ञापन या कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इन परिस्थितियों में, सामान्य सिद्धांतों को लागू करते हुए, जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21² में निहित है, जारी करने की शक्ति में निरस्त करने की शक्ति भी शामिल होगी, हमारा विचार है कि दिनांक 04.11.2019 का कार्यालय ज्ञापन उस प्राधिकारी की क्षमता के भीतर था जिसने दिनांक 29.03.2013 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। नतीजतन, 04.11.2019 दिनांकित OM को क्षमता की कमी के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है। अन्यथा, एक कर्मचारी को उस उम्र के संबंध में कोई मौलिक अधिकार नहीं है जिस पर वह सेवानिवृत्त होगा। इसके अलावा, सेवा की शर्तों को विनियमित

2 खंड 21. जारी करने की शक्ति, अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपनियमों में जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने या रद्द करने की शक्ति को शामिल करने की शक्ति। - जहां किसी केन्द्रीय अधिनियम या विनियम द्वारा अधिसूचनाएं, आदेश, नियम या उपविधि जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, वहां उस शक्ति में ऐसी शक्ति सम्मिलित है, जो समान तरीके से और समान मंजूरी और शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, इस प्रकार जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, नियम या उपविधि में परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करने की शक्ति है।

करने वाले कानून या नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के कारण किसी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति धारा 21 के अनुच्छेद 311(2) के अर्थ के भीतर सेवा से उसके निष्कासन के बराबर नहीं है। भारत का संविधान³ के. नागराज और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य मामले (1985) 1 एस. सी. सी. 523 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने को बरकरार रखा। ऐसा करते समय, इस न्यायालय ने कहा कि "ऐसा कठोर नियम बनाना संभव नहीं है कि 58 वर्ष सेवानिवृत्ति के लिए उचित आयु है और 55 वर्ष नहीं है। यदि सरकार या विधानमंडल द्वारा इस समय अपनाई गई नीति रोजगार नियोजन के मान्यता प्राप्त मानदंडों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो यह कहना संभव होगा कि नीति अतार्किक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में, यह उस उद्देश्य के साथ उचित संबंध नहीं रखेगी जिसे वह प्राप्त करना चाहती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है।"

19. अब, हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन का लाभ अपीलकर्ता को तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जैसा कि इसमें प्रतिपादित है, या केवल 04.11.2019 तक, अर्थात् वह तिथि जब कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.11.2019 द्वारा इसे वापस ले लिया गया।
20. इस संबंध में, अभिलेख से पता चलता है कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.03.2013 ने स्वयं अपीलकर्ता को कोई विस्तार लाभ प्रदान नहीं किया क्योंकि इसका लाभ दृष्टिबाधित श्रेणी तक ही सीमित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके लाभ से इनकार करना भेदभावपूर्ण होने का दावा किया गया था और इससे पहले, अपीलकर्ता जैसे समान रूप से स्थित एक कर्मचारी ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष दावा किया और न्यायाधिकरण ने दिनांक 10.01.2018 के आदेश के माध्यम से, अन्य निर्दिष्ट विकलांगता से पीड़ित कर्मचारी को अपना लाभ दिया। लेकिन ट्रिब्यूनल के इस आदेश को हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा सीडब्ल्यूपी संख्या 1577/2018-एच के माध्यम से उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे भूपिंदर सिंह (उपरोक्त) में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा करके 05.11.2018 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, खण्ड पीठ के आदेश (2018-एच के सी. डब्ल्यू. पी. No.1577 में पारित) के खिलाफ, एच. पी. राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष एक एस. एल. पी. दायर की जिसे 13.09.2019 पर खारिज कर दिया

3. बिष्णु नारायण मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1567:1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 72

गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन को दिनांक 04.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वापस ले लिया। उस समय तक, अपीलकर्ता को दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन का लाभ प्रदान करने वाला कोई न्यायिक आदेश नहीं था। इसलिए हमारा यह मानना है कि अपीलकर्ता 04.11.2019 अर्थात् जिस तारीख को दिनांक 29.03.2013 का कार्यालय ज्ञापन वापस लिया गया था, के बाद सेवा में बने रहने का हकदार नहीं है।

21. तथापि, जैसा कि हमने मुद्दा 1 पर निर्णय करते समय माना है कि अन्य निर्दिष्ट विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिनांक 29.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था, हमारा मत है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के प्रभावी होने की तिथि तक अपीलकर्ता इसके लाभ का हकदार था, क्योंकि, निश्चित रूप से, वह ऐसे विकलांगताओं से पीड़ित कर्मचारी की श्रेणी में आता था, जैसा कि 1995 अधिनियम और 2016 अधिनियम में निर्दिष्ट है।
22. तदनुसार, इन अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है। अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.07.2021 के विवादित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया गया है। अपीलकर्ता 04.11.2019 तक सेवा में बने रहने के लाभ का हकदार होगा। परिणामस्वरूप, वह अपनी पेंशन को प्रभावित करने वाले सभी परिणामी लाभों के साथ 01.10.2018 से 04.11.2019 तक पूर्ण वेतन का हकदार होगा।
23. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

†हेडनोट्स तैयार किए गए: अंकित ज्ञान